समाहरणालय, लातेहार

(राजस्व शाखा)

पत्रांक–1967/रा0

प्रेषक,

उपायुक्त,
लातेहार।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड,
रांची।

लातेहार, दिनांक–10/09/2025

विषयः– **400 KV D/C लातेहार–पतरातू संचरण लाईन निर्माण में पड़ने वाले गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि का अनापत्ति निर्गत करने के संबंध में।**

प्रसंगः– राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या–1817, दिनांक–30.04.2015 एवं आपका पत्रांक–120, दिनांक–26.08.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि अंचल अधिकारी, लातेहार एवं अंचल अधिकारी, चंदवा के द्वारा 400 KV D/C लातेहार–पतरातू संचरण लाईन निर्माण में पड़ने वाले गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि का सत्यापनोपरान्त अनापत्ति का प्रस्ताव अनुशंसा सहित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार को उपलब्ध करायी गई है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के पत्रांक–1001, दिनांक–08.09.2025 के द्वारा 9.834 हे0 गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि का अनापत्ति का प्रस्ताव अनुमोदनोपरान्त समर्पित किया गया है। इनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि योजना के अंतर्गत पड़ने वाली गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की भूमि है, जिसका किस्म जंगल, जंगल–झाड़ी इत्यादि है। प्रस्तावित भूमि अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है। निम्नलिखित गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी/डीम्ड फॉरेस्ट (जंगल, जंगल–झाड़ी, सखुआ इत्यादि) भूमि अपयोजन हेतु प्रस्तावित है–

अंचल	मौजा	CS प्लॉट	RS प्लॉट	रकबा (हे0)
चंदवा	बेलगड़ा	482	1080	0.173
चंदवा	बेलगड़ा	399	1078	0.022
चंदवा	बेलगड़ा	392	829, 1231, 835 & 833	1.723
चंदवा	बेलगड़ा	226	476, 452, 451 & 449	0.941
चंदवा	निंद्रा	523	898, 892, 893, 894 & 895	1.190
चंदवा	निंद्रा	545	930	0.347
चंदवा	निंद्रा	547	994	0.147
चंदवा	निंद्रा	515	877, 878, 889, 880, 882 & 881	1.766
चंदवा	निंद्रा	510	872	0.334
चंदवा	काली	465	390	0.011

चंदवा	ढोटी	62	64	0.030
चंदवा	चेटर	1132	1320	0.267
चंदवा	आन	778	1454	0.667
चंदवा	आन	947	1462	0.704
चंदवा	किता	899	1250	1.199
लातेहार	होसीर	173	298	0.313
			कुल	**9.834**

सकल कुल रकबा–9.834 हे0 गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी/डीम्ड फॉरेस्ट भूमि के रूप में अंकित भूमि का राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या–1817, दिनांक–30.04.2015 के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्तावित गैरमजरूआ डीम्ड फॉरेस्ट श्रेणी की भूमि के अपयोजन हेतु सैद्धांतिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् गैरमजरूआ डीम्ड फॉरेस्ट (जंगल, जंगल–झाड़ी, सखुआ इत्यादि) भूमि विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि के निःशुल्क/सशुल्क हस्तांतरण/लीज बंदोबस्ती हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

2. गैरमजरूआ डीम्ड फॉरेस्ट (जंगल, जंगल–झाड़ी, सखुआ इत्यादि) भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि के उपयोग की अनुमति तबतक नहीं दी जाएगी जबतक उसके विधिवत हस्तांतरण हेतु राज्यादेश नहीं निर्गत कर दिया जाय।
3. जिस उद्देश्य से भूमि का अनापत्ति दी जा रही है इसका अनुपालन सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

उपायुक्त, लातेहार।

ज्ञापांक–1967/रा0, दिनांक–10/09/2025

प्रतिलिपिः– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार/अंचल अधिकारी, लातेहार/अंचल अधिकारी, चंदवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त, लातेहार।